



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20240

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1099/2026

इसरार अली.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:जावेद आलम, नसीम उद्दीन

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जावेद आलम ने निवेदन किया है कि यद्यपि वर्तमान याचिका दिनांक 23.07.2025 के दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, तथापि, वह 'उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारी (दंड और अपील) नियमावली, 1991' के नियम 20 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करने हेतु रिट याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। उनकी चिंता यह है कि अपील का निस्तारण शीघ्रतापूर्वक किया जाए।
2. न्यायालय की राय में, एक बार जब रिट याचिकाकर्ता अपील प्रस्तुत कर देता है, तो न्यायालय के पास यह अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उक्त अपील का निस्तारण अत्यंत शीघ्रता के साथ नहीं किया जाएगा।
3. यदि किसी कारणवश विलंब होता है, तो आवेदक के लिए विलंब क्षमा हेतु प्रार्थना करने का विकल्प सदैव खुला है, जिस पर विधि के पूर्णतः अनुरूप विचार किया जाएगा।
4. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

एन0एस0 राठौर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”